

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 1976/माघ 16, 1897

No. 43]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 1976/MAGHA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February 1976

G.S.R. 63(E).—Whereas certain draft rules further to amend Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published, as required by Sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), at pages 2702-2704 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. G.S.R. 1145, dated the 26th October, 1974, inviting objections/suggestions from the persons likely to be affected thereby till the 26th November, 1974;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 26th October, 1974;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except rules 3, 4, 5, 6 and clause (vii) of rule 10 which shall come into force after a period of six months from the date of such publication.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 29, after item (n), the following item shall be inserted, namely:—

“(o) Sweetened ice, thread candies and similar products”.

3. In rule 32 of the said rules, in the first proviso, the words “including the statement under any clause”, the words, brackets and letters “under clause (d) and (e)”, shall be substituted.

4. After rule 22 of the said rules, the following rule, shall be inserted, namely:—

“32-A. *Nutritional Food*.—The food claimed to be enriched with nutrients such as minerals, proteins or vitamins shall give the quantities of such added nutrients on the label.”

5. In rule 42 of the said rules, after sub-rule (K), the following sub-rules, shall be inserted, namely:—

“(L) *Masala*.—Every package of mixed masalas shall bear a label specifying the ingredients of the products in descending order by weight.

(M) *Compounded Asafoetida*.—Every container of Compounded Asafoetida shall indicate the percentage of flour of the kind used in the compound on the label.”

6. In rule 50 of the said rules, in sub-rule (I), after item(s), the following items, shall be inserted, namely:—

“(t) Sweetened ice, thread candies and similar products;

(u) Sugar cane juice, fresh fruit juice and sharbats (not covered under the Fruit Products Order, 1955).”.

7. In rule 55 of the said rules, in the table, after item 30, the following item shall be inserted, namely:—

1	2	3
“31. Dry mixes of Ras-Gollas.	Sulphur dioxide	100”.

8. After rule 59 of the said rules, the following provision shall be inserted, namely:—

Provided that dry mixes of Ras-Gollas and Vadas may contain butylatedhydroxy-anisole (BHA) not exceeding 0.02 per cent calculated on the basis of fat content:

Provided further that antioxidants permitted in rule 59 may be used in permitted flavouring agents in concentration not exceeding 0.01 per cent.”.

9. After rule 64 in Part XIII of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

“64-A *Foodgrade solvents*.—Isopropyl alcohol—Food grade may be used as solvent in food industry.”.

10. In the appendix ‘B’ to the said rules:—

(i) in item A.01.01, in the proviso, for the words, “sucrose”, the words “total sugars expressed as sucrose” shall be substituted;

(ii) after item A.05.17.02, the following item shall be inserted, namely:—

“A.05.17.03 *Pinheads*.—Pinheads shall be wholly derived from the spikes of piper nigrum. They shall be reasonably dry and free from insects. The colour shall be from dark-brown to black. The extraneous matter shall not exceed 6 per cent.”;

(iii) item A.11.14, shall be renumbered as A.11.02.21;

(iv) in item A.14, after the word “species”, the following shall be inserted, namely:—
“and includes (i) leaf, (ii) broken, (iii) fanning and (iv) dust”;

(v) in item A.17.02, against the entry (a), for the figures and words “57.9 to 60.2”, the figures and words “55.6 to 60.2” shall be substituted;

(vi) in item A.17.05, for the words and brackets “Mustard oil (Saroon Ka Tel)” the words and brackets “Rapeseed Oil (Tora oil)” or “mustard oil (Saroon Ka-Tel)” shall be substituted;

- (vii) in item A.18.02, against the entry (e), for the figures "0.18", the figures "0.12" shall be substituted;
- (viii) in item A.18.09, against the entry "Moisture", for the figures "5.0", the figures "7.5" shall be substituted;
- (ix) in item A.18.14, after the words "edible groundnut flour," the words "edible soya flour," shall be inserted.

[No. P. 15013/3/73-D&MS]

RAMESH BAHADUR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 63(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण, नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण, अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथाअर्पेक्षित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1145, तारीख 25 अक्टूबर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) के पृष्ठ 2699-2702 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें 26 नवम्बर, 1974 तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 26 अक्टूबर, 1974 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना के प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये, नियम 3, 4, 5, 6 तथा नियम 10 के खण्ड (vii) के सिवाय, जो ऐसे प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 29 में, मद (ड) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“ (ण) मोठी की गई बर्फ, थूँड कैंडियाँ और इसी प्रकार के उत्पाद ।”

3. उक्त नियमों के नियम 32 में, प्रथम परन्तुक में,—

“किसी खण्ड के अधीन विवरण सहित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है” शब्दों के स्थान पर “खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होगा” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“32क पोषणज खाद्य ऐसे खाद्य के, जिसके बारे में यह दावा किया गया है कि वह खनिजों प्रोटीनों या विटामिनों जैसे पोषकों से भरपूर है, लेबिल पर ऐसे अतिरिक्त पोषकों की मात्राएं दी जाएंगी।”।

5. उक्त नियमों के नियम 42 में, उपनियम (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(ठ) **मसाला**—मिश्रित मसालों के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबिल होगा, जिसमें घजन के अवरोही क्रम में उत्पादों के संघटकों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ड) **मिश्रित ह्रींग**—मिश्रित ह्रींग के प्रत्येक आधान के लेबिल पर मिश्रण में प्रयुक्त आटे के प्रकार की प्रतिशतता उपदर्शित की जाएगी।”।

6. उक्त नियमों के नियम 50 में, उपनियम (1) में, मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(न) मीठी की गई बर्फ, थूंड कैंडियां और उसी प्रकार के उत्पाद;

(प) गन्ने का रस, ताजा फलों का रस और शरबत (जो फलउत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत नहीं आते हों)।”।

7. उक्त नियमों के नियम 55 में, सारणी में, मद 30 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

1	2	3
“31 रसगुल्ला के शुष्क मिश्र	सल्फर डाईआक्साइड	100”

8. उक्त नियमों के नियम 59 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु रसगुल्ला और बड़ा के शुष्क मिश्रों में बसा अंश के आधार पर संगणित, 0.02 से अनधिक व्यूटीलेटिड-हाईड्राक्सी-एनीसोल (BHA) हो सकेगा :

परन्तु यह और कि नियम 59 में अनुज्ञात प्रति आक्सी कारकों का सन्दर्भ में 0.01 प्रतिशत से अनधिक, अनुज्ञात सुराच कर्मकों में उपयोग किया जा सकेगा।”।

9. उक्त नियमों के भाग 13 में नियम 64 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“64-क खाद्य श्रेणी विलायक:—खाद्य उद्योग में विलायक के रूप में आइसोप्रोपिल एल्कोहल—खाद्य श्रेणी का उपयोग किया जा सकेगा।”

10. उक्त नियमों के परिशिष्ट ‘ख’ में,—

(i) मद ए.01. 01 में, परन्तुक्त में, “स्यूक्रोज” शब्द के स्थान पर “स्यूक्रोज के रूप में अभिव्यक्त कुल शर्करा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) मद ए.05. 17. 02 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“ए005. 17. 03 रितर्हैक:—पूर्णतः पाइरर नःइम की स्वादकों से लिए जाएंगे। वे पर्याप्त शुष्क और कीटारहित होंगे। रंग गहरा-भूरा से काला होगा। बाह्य पदार्थ 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।” ;

(iii) मद ए. 11. 14 को मद ए. 11. 02. 21 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iv) मद ए. 14 में “स्पीशीज” के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्:—

“और उसमें (i) पत्ती, (ii) टूटन, (iii) फटकन (iv) बुकनी सम्मिलित है” ;

(v) मद ए. 17. 02 में, प्रविष्टि (क) के सामने, “57.9 से 60.2 तक” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “55.6 से 60.2 तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) मद ए. 17. 05 में, “सरसों का तेल” शब्दों के स्थान पर ‘तोरिया तेल या सरसों का तेल’ शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) मद ए. 18. 02 में, प्रविष्टि ‘(क)’ के सामने, “0.18” अंकों के स्थान पर “0.12” अंक रखे जाएंगे ;

(viii) मद ए. 18. 09 में, प्रविष्टि “आर्हुता” के सामने, ‘5.0 अंकों’ के स्थान पर, ‘7.5 अंक’ रखे जाएंगे ;

(ix) मद ए. 18. 14 में, ‘खाद्य भूगफली आटा’ शब्दों के पश्चात् ‘खाद्य सोया आटा’ शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० पी० 15013/3/73-डी. एण्ड एमएस.]

रमेश बहादुर, अवर सचिव।

